

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-683) अलेसे-I/43

दिनांक:- 6/4/23

आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या 79/2021-22 दिनांक 15.02.2022 द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 11 दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा श्री रामतोफान मुंडोतिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 2321) कार्यालय सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के द्वारा ट्रेप की कार्यवाही के क्रम में गिरफ्तार किए जाने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया, की पुष्टि की गई थी।

इस प्रकार श्री मुंडोतिया को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मुंडोतिया द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री रामतोफान मुंडोतिया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-683) अलेसे-I/44-55

दिनांक:- 6/4/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 4 कोषाधिकारी, अजमेर।
- 5 श्री रामतोफान मुंडोतिया, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, मुख्यालय कोषालय, अजमेर।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
- 8 जॉच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय हाजा।



(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)